संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 17 अनुच्छेद, जो अधिक, अनियमित, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान, राज्य सरकार को हानियों, नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों इत्यादि से संबंधित, ₹ 269.65 करोड़ की राशि से आवेष्टित हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

निष्पादन लेखापरीक्षा

अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति योजनाएं

अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना एवं वित्तीय प्रबंधन में कमियां, विद्यार्थियों के आवेदनों की अपर्याप्त जाँच, छात्रवृत्तियों के संवितरण में अनियमितताएं, संदिग्ध फर्जी भुगतान, कमजोर निगरानी तंत्र, इत्यादि के मामले प्रकाश में आए। विभाग द्वारा योजनाओं के परिणाम/प्रभाविकता का आकलन नहीं किया गया। जबकि संदिग्ध फर्जी भुगतानों सहित इस निष्पादन लेखापरीक्षा की कुल वित्तीय आपत्तियां ₹ 89.05 करोड़ की हैं, कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की कवरेज का पता लगाने के लिए पात्र विद्यार्थियों का डाटाबेस एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.6.1)

2015-19 के दौरान केवल 52.24 प्रतिशत आवेदकों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया जबकि 37 प्रतिशत स्वीकृत मामलों में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया था। तकनीकी शिक्षा विभाग ने 7,757 विद्यार्थियों को कुल ₹ 17.98 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया, हालांकि राशि मंजूर की गई थी तथा कोषागार से भी निकाली गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.6.3)

व्यय के पूर्वानुमान के आधार पर निधियां आहरित करके बैंक खातों में रखी गईं तथा अव्ययित निधियां सरकारी खाते में जमा नहीं की गई; परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष को ₹ 6.43 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.1.7.2)

विद्यार्थियों के आधार नंबरों की हेराफेरी करके ₹ 18.98 करोड़ का संदिग्ध फर्जी भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

₹ 9.65 करोड़ की छात्रवृत्ति के भुगतान में धोखाधड़ी का संदेह था क्योंकि उनका विवरण उपलब्ध अभिलेखों के साथ सत्यापित नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 2.1.8.2)

विद्यार्थियों के आय/जाति प्रमाण-पत्रों इत्यादि की अपर्याप्त जाँच के परिणामस्वरूप कुल ₹ 1.91 करोड़ की छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.6)

राज्य से बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कुल ₹ 4.74 करोड़ का संदिग्ध फर्जी छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.8.7)

निगरानी तंत्र कमजोर था। योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणाम/प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 और 2.1.9.2)

अनुपालन लेखापरीक्षा

पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संदिग्ध गबन

उप-मंडल कार्यालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कैथल में रोकड़-बही में सरकारी प्राप्तियों के कम लेखांकन तथा लेखांकन न करने के कारण ₹ 1.54 लाख का तथा उपायुक्त, भिवानी के कार्यालय (नाज़ीर शाखा) में आकस्मिक बिल बनाते समय वाउचर के सार में कपटपूर्वक राशि की बढ़ोतरी करके तथा बढ़ी हुई राशि आहरित करके ₹ 1.02 लाख का संदिग्ध गबन किया गया।

(अनुच्छेद 3.1)

आयुष विभाग

राजस्व की हानि

श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, कुरुक्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार पंचकर्म उपचारों के लिए फीस नहीं ली गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 82.48 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.2)

स्कूल शिक्षा विभाग

छात्रवृत्ति का दोहरा संवितरण

प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों में कोडल प्रावधानों का पालन न करने और अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के कारण लाभार्थियों को ₹ 30.76 करोड़ की छात्रवृत्ति का दोहरा संवितरण किया गया। निदेशालयों द्वारा अप्रयुक्त धन को अनियमित रूप से चालू खाते में रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की परिहार्य हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

वित्त विभाग

पेंशनरों को अधिक भुगतान

महानिदेशक, कोषागार एवं लेखा विभाग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र द्वारा प्रस्तुत भुगतान की मासिक सूची के साथ मिलान न करने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 से मई 2018 के दौरान 84 पेंशनरों को ₹ 81.68 लाख की अधिक पेंशन का संवितरण किया गया। यह बैंक द्वारा पेंशन के कम्यूटेड भाग की कटौती न करने/कटौती को बंद करने के कारण हुआ।

(अनुच्छेद 3.4)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन के कारण धान की हेराफेरी

जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले नियंत्रक, कुरूक्षेत्र द्वारा एक अपंजीकृत मिलर को नियत सीमा से अधिक धान का आबंटन किया गया, मिलर द्वारा धान की हेराफेरी करने के कारण ₹ 2.99 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.5)

धान के शुष्कता प्रभार की मांग करने में देरी के कारण ब्याज का अतिरिक्त भार

पांच जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले नियंत्रकों ने कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति के समय नियमित बिलों में भारतीय खाद्य निगम से ₹ 101.59 करोड़ के धान के शुष्कता प्रभार का दावा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप शुष्कता प्रभारों की प्राप्ति में 22 से 1,577 दिनों के मध्य देरी हुई जिसके कारण राज्य के राजकोष पर ₹ 13.45 करोड़ के ब्याज का भार पड़ा।

(अनुच्छेद 3.6)

वन विभाग

अरावली और शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग

वन विभाग द्वारा नियंत्रण में कमियों के कारण छ: स्थलों पर वन भूमि पर अतिक्रमण था। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए तीन स्थलों पर 170.74 एकड़ भूमि का कब्जा नहीं लिया गया था। 122.18 हेक्टेयर भूमि की उपलब्धता के विरुद्ध केवल 39.07 हेक्टेयर पर ही प्रतिपूरक वनीकरण किया गया था। विभाग की अपर्याप्त निगरानी एवं नियंत्रण के कारण वन क्षेत्रों में अवैध खनन हुआ। वन नियमों के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 2.74 करोड़ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा चौकीदारों के वेतन पर ₹ 2.90 करोड़ का व्यय पारदर्शी ढंग से नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.7)

गृह विभाग

सरकारी भूमि पर बने गोल्फ कोर्स का अनधिकृत उपयोग

तृतीय वाहिनी, हरियाणा सशस्त्र पुलिसबल, हिसार में सरकारी संसाधनों द्वारा सरकारी भूमि पर विकसित गोल्फ कोर्स को पांच साल से अधिक समय के लिए अनधिकृत रूप से निजी व्यक्तियों द्वारा उपयोग हेतु अनुमति दी गई थी। इसकी प्रबंधन समिति द्वारा एकत्रित ₹ 80.87 लाख के राजस्व को सरकारी खाते से बाहर रखा गया था।

(अनुच्छेद 3.8)

आवास विभाग (हाउसिंग बोर्ड हरियाणा)

आयकर का परिहार्य भुगतान और ब्याज की वसूली न करना

सरेंडर संपत्तियों की अवसूलनीय राशि को बाद के वर्ष में आय से न घटाने के कारण हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा को ₹ 1.45 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, संपत्तियों के सरेंडर की तारीख तक बकाया राशि पर ब्याज की गणना न करके सात मामलों में ₹ 0.41 करोड़ का अधिक रिफंड दिया गया।

(अनुच्छेद 3.9)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

नई जलापूर्ति योजना पर अनुचित व्यय

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, तोशाम, जिला भिवानी द्वारा गाँव खड़ियावास को पेयजल की आपूर्ति के लिए केवल 1.5 कि.मी. पाइपलाइन बिछाने के स्थान पर, नहरी पानी और शोधित पानी की आपूर्ति के लिए 6 कि.मी. पाइपलाइन बिछाकर स्वतंत्र जलापूर्ति योजना के निर्माण का विकल्प चुना गया जिसके कारण ₹ 1.48 करोड़ का अनुचित और परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.10)

अपूर्ण कार्य पर निष्फल व्यय

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 1, झज्जर द्वारा कार्यस्थल की स्थिति का आकलन किए बिना ग्राम भूरावास, जिला झज्जर के लिए जलापूर्ति परियोजना का कार्य शुरू करने के कारण योजना पूर्णता की लक्षित तिथि से सात वर्षों के बाद भी अधूरी रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.29 करोड़ का व्यय निष्फल रहा तथा ग्रामीणों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करवाया जा सका।

(अनुच्छेद 3.11)

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

लिंक रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर निष्फल व्यय

इस तथ्य को जानने के बावजूद कि 3.430 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए भूमि निजी व्यक्तियों की थी, प्रांतीय मंडल, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) नारायणगढ़ ने 10.57 कि.मी. सड़क (कि.मी. शून्य से कि.मी. 7.370 तक और कि.मी. 10.800 से कि.मी. 14.000 तक) के निर्माण पर ₹ 6.30 करोड़ का व्यय किया। जिसके परिणामस्वरूप व्यय निष्फल रहा क्योंकि दोनों छोर अलग-अलग बने रहे और यात्रियों द्वारा सड़क का उपयोग नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 3.12)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

जलपानगृह के अपरिचालित रहने के कारण निष्फल व्यय

हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के पास उपयोग की कोई पुख्ता योजना न होने के कारण कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल में एक जलपानगृह के निर्माण पर किया गया ₹ 0.82 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.13)

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

शहरी और नियंत्रित क्षेत्रों में भूमि उपयोग विनियमों का प्रवर्तन

अधिनियमों और नियमों में मौजूदा प्रावधानों का पालन न करने के कारण राज्य में अनधिकृत कालोनियों का विस्तार हुआ। अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक में लाइसेंस देने, लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू करने में देरी, आदि के उदाहरण थे। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण योजनाओं के अनुमोदन के बिना भवनों का निर्माण, बाहरी विकास प्रभारों को वसूल किए बिना अर्ध-अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करना, रद्द किए गए लाइसेंसों की कॉलोनियों का विकास न करना, बाहरी विकास प्रभारों/बुनियादी ढांचा विकास प्रभारों की वसूली न करना, संशोधित लाइसेंस फीस की वसूली न करना, बैंक गारंटियों की अप्राप्ति/पुनर्वैधीकरण न करना आदि के मामले प्रकाश में आए। नियमों का उल्लंघन करके भूमि उपयोग के परिवर्तन की अनुमतियां प्रदान की गईं थीं। अनुपालन मामलों के अतिरिक्त, इस लेखापरीक्षा की कुल वित्तीय आपतियां ₹ 91.19 करोड़ की हैं। इन मामलों के अतिरिक्त, बाहरी विकास प्रभारों/बुनियादी ढांचा विकास प्रभारों की ₹ 15,216.61 करोड़ की राशि कॉलोनाइजरों के विरूद्ध 1 से 16 वर्ष की अवधि से लंबित थी।

(अनुच्छेद 3.14)

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

ठेकेदार को अधिक भुगतान

कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सोनीपत ने अनुबंध दस्तावेज के प्रावधानों का अनुपालन न करके बिटुमेन/इमल्शन की कीमतों में कमी की राशि की वसूली नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 5.61 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.15)

अनियमित रूप से तथा निविदाएं आमंत्रित किए बिना कार्यों का निष्पादन

कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, मंडल संख्या-III, गुरुग्राम द्वारा सक्षम प्राधिकारियों से प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना अनियमित रूप से ₹ 16.11 करोड़ मूल्य के चार कार्यों को निष्पादित करवाया गया। इन कार्यों को प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं आमंत्रित किए बिना नामांकन आधार पर एक ठेकेदार के ₹ 0.19 करोड़ के अनुबंध को ₹ 16.30 करोड़ तक बढ़ोतरी करके आवंटित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कोडल प्रावधानों की उल्लंघना करके ₹ 0.81 करोड़ की निष्पादन गारंटी प्राप्त नहीं की गई तथा सरकारी हित को संरक्षित नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.16)

परिवहन विभाग

उच्च दरों पर कार्य आवंटित करने के कारण अतिरिक्त व्यय

हरियाणा रोडवेज के गुरुग्राम डिपो के महाप्रबंधक ने तीन बस अड्डों, एक वर्कशॉप और बसों की सफाई का कार्य पांचवे न्यूनतम बोलीदाता (एल-5) को मनमाने ढंग से आवंटित किया तथा अनुबंध को वास्तविक छः माह की अवधि से 52 माह तक बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.17)